



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-612/DL/5/2022-APCR

Date : 22.05.2024

सेवा मे,

श्री संजय अरोरा

पुलिस आयुक्त,

पुलिस आयुक्त का कार्यालय,

दिल्ली पुलिस मुख्यालय,,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001

Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: मारपीट करने, जाती सूचक शब्दों से गली गलोच करने, जान से मारने के धमकी देने व सामान चुराने के सम्बन्ध में - श्रीमती ललिता उरांव, पत्नी श्री सूरज उरांव, प्लॉट नंबर 278, 2nd फ्लोर, फ्लैट नंबर 301, विपिन गार्डन, राजा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली का अभ्यावेदन
महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)

अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer

Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्रीमती ललिता उरांव,

प्लॉट नंबर 278, 2nd फ्लोर,

फ्लैट नंबर 301, विपिन गार्डन,

राजा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059

मोबाइल नंबर: 9667038600

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(2) NIC for uploading

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-612/DL/5/2022-APCR

श्रीमति मनीषा, रजनी, रज्जो देवी, पूजा, सोनी व अन्य द्वारा श्रीमति ललिता उरांव, पत्नी श्री सूरज उरांव, प्लॉट नंबर 278, 2nd फ्लोर, फ्लैट नंबर 301, विपिन गार्डन, राजा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली के साथ मार-पीट करने, जाति सूचक शब्दों से गाली-गलोच करने, जान से मारने की धमकी देने व सामान चुराने के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 10.05.2024 को आयोग में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि : 10.05.2024 - 03:00 P.M.

सिटिंग में उपस्थित अधिकारी: परिशिष्ट

आयोग को श्रीमती ललिता उरांव, पत्नी श्री सूरज उरांव, प्लॉट नंबर 278, 2nd फ्लोर, फ्लैट नंबर 301, विपिन गार्डन, राजा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली का दिनांक 01.08.2022 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि दिनांक 25.07.2022 को उनके पति के साथ श्रीमती मनीषा, रजनी, रज्जो देवी, पूजा, सोनी व अन्य गुंडों द्वारा घर में घुसकर मार-पीट की गई। जातिसूचक गाली गलौज की गई। जिसकी शिकायत थाना मोहन गार्डन में की गयी थी, परंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा 7 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के लिए पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस को दिनांक 20/10/2022 को नोटिस भेजा गया था जिसके संबंध में दिनांक 06/10/2022 का दिल्ली पुलिस से जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें ए.सी.पी. नजफ़गढ़ को जांच करने के लिए निर्देश दिये गए थे। इस मामले में मोहन गार्डन थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट 611/2022 दर्ज की गई है और 7 आरोपियों को 18.03.2023 को गिरफ्तार कर चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2024 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस के साथ आयोग में सुनवाई/सिटिंग तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस की ओर से श्री अंकित सिंह, पुलिस उपायुक्त, द्वारका और सहयोगी श्री देवेन्द्र सिंह, इंस्पेक्टर, आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें डी.सी.पी. द्वारका, दिल्ली पुलिस ने प्रकरण से संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए।

5. प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की जाती हैं:-

- दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।
- आयोग को 7 दिन में केस की विस्तृत रिपोर्ट दी जाए।
- पीड़ित को अनुसूचित जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत राहत राशि का भुगतान शीघ्र करते हुये आयोग को अवगत कराया जाए।
- भविष्य में आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

प्रकरण में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों की अवधि में आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra

सदस्य/Member

भारत सरकार/Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-612/DL/5/2022-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Smt. Miranda Ingudam
Director

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from O/o Commissioner of Police, Delhi Police

Shri Ankit Singh
DCP/Dwarka

Shri Devendra Singh
Inspector

Petitioner

NIL